संख्या-1470/2026/1077/22-2-2026-17(468)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश भारती पुत्र श्री बाबूलाल भारती, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-208257/प्रो0अनु0(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/15/2026 (बै0 दि0 20.04.2026), दिनांक 26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश भारती पुत्र श्री बाबूलाल भारती (दिनांक 25.11.2025 तक बंदी की आयु 33 वर्ष है) जो ग्राम-भैसाय, थाना-मुस्फरा एवं ग्राम-औता, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। दिनांक 14.01.2014 को अभियुक्त द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना उसको व्यपहृत कर उसके साथ सम्भोग करने के आशय से अपने घर ले जाकर बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-15/2014 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 376 के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), सोनभद्र, के आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 25.11.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 10 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 07 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर ने बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हुए व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इंकार नही किये जा सकने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी के समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनाक 14.01.2014 को अभियुक्त द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना उसको व्यपहृत कर उसके साथ सम्भोग करने के आशय से अपने घर ले जाकर बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुकेश भारती पुत्र श्री बाबूलाल भारती को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश भारती (बंदी संख्या-575/2023) पुत्र श्री बाबूलाल भारती, निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1470/2026/1077 (1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1470/2026/1077/22-2-2026-17(468)/2026

दिनांक 30 अक्टूबर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश भारती पुत्र श्री बाबूलाल भारती (दिनांक 25.11.2025 तक बंदी की आयु 33 वर्ष है) जो ग्राम-भैसाय, थाना-मुस्फरा एवं ग्राम-औता, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। दिनांक 14.01.2014 को अभियुक्त द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना उसको व्यपहृत कर उसके साथ सम्भोग करने के आशय से अपने घर ले जाकर बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-15/2014 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 376 के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), सोनभद्र, के आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 25.11.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 10 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 07 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर ने बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हुए व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इंकार नही किये जा सकने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी के समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनाक 14.01.2014 को अभियुक्त द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना उसको व्यपहृत कर उसके साथ सम्भोग करने के आशय से अपने घर ले जाकर बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुकेश भारती पुत्र श्री बाबूलाल भारती को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in